न्यायालयः—आनंद प्रकाश दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0)
//दांडिक कार्य विभाजन आदेश//

क्रमांक/278/दां.का.वि./सी0जे0एम0/2016 दुर्ग,दिनाँक 05/10/2016

मैं आनंद प्रकाश दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0) दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1)एवं 15(2) में प्रदत्त प्रावधानों के तहत् राजस्व जिला दुर्ग में पदस्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करता हूँ, जो श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा :—

क्रं0	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	विवरण
01	02	03	04
01	आनंद प्रकाश दीक्षित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र 1—दुर्ग 2—मोहन नगर, 3—सुपेला, 4—जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, 5—यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई 6—समस्त आबकारी विभाग	(1) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोडकर) का निराकरण करना । (2) नगर निगम दुर्ग एवं भिलाई से नगर पालिका अधिनियम के तहत् पेश सभी दांडिक मामलों परिवाद एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (3) यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई व्दारा पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (4) माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 5021, तीन 7—7/2005 बिलासपुर दिनाँक19 अक्टूबर 2005 के अनुसार सिविल जिला दुर्ग एवं राजनांदगाँव से उत्पन्नः— (a) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम—1944 (b)विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम—1992 (c) कम्पनी अधिनियम—1956 (d) धनकर अधिनियम—1957 (e) दानकर अधिनियम—1958 (f) आयकर अधिनियम—1961 (g)सीमाशुल्क अधिनियम—1962 (h) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम—1963 (i) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम—1964 (j) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम—1969 (k) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम—1973 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (s) राजस्व जिला दुर्ग के क्षेत्र से उत्पन्न वन

6/10/16
आनंद प्रकाश दीक्षित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

			अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणो का निराकरण करना। (6) दुर्ग मुख्यालय के सभी थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब व्दारा चोट पहुंचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना । (7) दुर्ग राजस्व जिला से आबकारी विभाग द्वारा पेश परिवाद पत्र का निराकरण, विभाग द्वारा पेश समस्त अभियोग पत्र का निराकरण करना। (8) राजस्व जिले दुर्ग के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) के समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (9) दुर्ग राजस्व जिले से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (10) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दुकान स्थापना अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत् समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
02	श्री मोहन सिंह कोर्राम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,दुर्ग	आरक्षी केन्द्र छावनी	(1) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोडकर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोडकर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

6/10/16

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

	श्री बलराम देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	आरक्षी केन्द्र खुर्सीपार	(1) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोडकर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोडकर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
04	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग/ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग		(1)माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (2) राजस्व जिला दुर्ग में स्थित थाना क्षेत्रों से उदभूत होने वाले **अपचारी बालकों** से संबंधित मामलों का निराकरण करना ।
05	श्रीमती रेशमा कुजूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,दुर्ग	आरक्षी केन्द्र 1– महिला थाना 2– ए0जे0के0	(1) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोडकर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोडकर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना । (3) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
06	श्री समीर कुजूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,दुर्ग	आरक्षी केन्द्र 1–पुलगॉव 2–भिलाई भट्ठी	(1) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोडकर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोडकर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

8/7/16

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

07	श्री गिरीश मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	आरक्षी केन्द्र 1—नेवई 2—भिलाई नगर	(1) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोडकर) का निराकरण करना,उन मामलों को छोडकर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना । (3) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
08	श्रीमती अर्चना भास्कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,दुर्ग	आरक्षी केन्द्र नंदनी	(1) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोडकर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोडकर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना । (3) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वार, समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
09	कुं0 नेहा यति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	आरक्षी केन्द्र धमधा	1) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोडकर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोडकर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना । (3) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

आनंद प्रकाश दीक्षित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

	श्री प्रवीण मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	आरक्षी केन्द्र 1– जामुल 2– अण्डा	(1) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0द0सं0 के मामलो को छोडकर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोडकर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना । (3) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
11	कुं0 चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग		(1) आरक्षी केन्द्र दुर्ग, छावनी, मोहन नगर, सुपेला, जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, भिलाई नगर, जामुल, भिलाई भटठी, नेवई, पुलगॉव, उतई, महिला थाना एवं ए0जे0के0 थाना, खुर्सीपार, धमधा, बोरी, अण्डा, नंदनी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा 354, 509 भारतीय दंड संहिता से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
12	कुं0 बरखारानी कसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग		1) आरक्षी केन्द्र दुर्ग, जी0आर0पी दुर्ग एवं भिलाई, उतई, के क्षेत्राधिकार से से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0एक्ट)से संबंधित मामलों का निराकरण करना । (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। 3–थाना सुपेला की क्षेत्राधिकारिता से उदभूत घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के मामले का निराकरण करना ।
13	कुं0 अमृता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग		(1) आरक्षी केन्द्र मोहन नगर, बोरी, अण्डा, के क्षेत्राधिकार से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0एक्ट)से संबंधित मामलों का निराकरण करना । (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (3)–थाना जी0आर0पी0 भिलाई एवं दुर्ग की क्षेत्राधिकारिता से उदभूत घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के मामले का निराकरण करना ।

6/10/16
आनंद प्रकाश दीक्षित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

14	कुं0 तनूश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग		(1) आरक्षी केन्द्र **सुपेला, भिलाई नगर, नंदनी** के क्षेत्राधिकार से से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना । (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। 3–थाना **दुर्ग** की क्षेत्राधिकारिता से उदभूत घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के मामले का निराकरण करना ।
15	कुं0 खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग		(1) आरक्षी केन्द्र **जामुल, पुलगाँव, नेवई, उतई** के क्षेत्राधिकार से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना । (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। 3–थाना **मोहन नगर** की क्षेत्राधिकारिता से उदभूत घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के मामले का निराकरण करना ।
16	श्री भगवान दास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग		(1) आरक्षी केन्द्र **छावनी, खुर्सीपार नंदनी, धमधा** के क्षेत्राधिकार से से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना । (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
17	कुं0 जसविंदर कौर आजमानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	आरक्षी केन्द्र 1–बोरी 2–उतई	1) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0द0सं0 के मामलो को छोडकर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोडकर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना । (3) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

8/11/16

	श्रीमती सुषमा लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन जिला दुर्ग	आरक्षी केन्द्र पाटन, रानीतराई तथा रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) तथा थाना अमलेश्वर	(1) आबंटित थाना तथा थाना अमलेश्वर ग्राम :–जामगॉव (एम) घुघवा, जमराव, करगा, कोपेडीह, महुदा, उफरा, कापसी, झींठ, खुडमुडा, गुरूवाईनडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
19	कुं0 रूपल अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला दुर्ग	आरक्षी केन्द्र भिलाई–3, कुम्हारी तथा अमलेश्वर	(1) आबंटित थाना तथा थाना अमलेश्वर के ग्राम :–अमलेश्वर, मटिया, भोथली, मगरघाट,पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा, मोतीपुर, खम्हरिया, बटंग, भाठागॉव, गभरा, अमलीडीह, कुरूदडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

आनंद प्रकाश दीक्षित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

// आवश्यक निर्देश //

(1) दुर्ग जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए चलित न्यायालय लगा सकेंगे ।

(2) दुर्ग मुख्यायालय में पदस्थ एवं बाह्य मुख्यालय में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के व्दारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग से अनुपति लेकर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

(3) धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट "ए" के अनुसार दर्ज करेंगे।

(4) पाक्सो एक्ट के तहत धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियो को न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट "ए–1" के अनुसार दर्ज करेंगे।

(5) राजस्व जिला दुर्ग से उदभूत होने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को श्री समीर कुजूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग परिशिष्ट "ए–2" के अनुसार दर्ज करेंगे।

(6) दुर्ग जिला के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खात्मा प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट को आबंटित आरक्षी केन्द्र वाले न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होंगे ।

(7) दुर्ग जिला के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खारिजी संबंधी कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग व्दारा की जाएगी।

(8) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने,मुख्यालय से बाहर रहने लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था परिशिष्ट "बी" में स्तम्भ कमांक–02 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कमानुसार स्तम्भ कमांक 3,4,5,.....16 में उल्लेखित न्यायाधीश व्दारा कार्य संपादित किया जायेगा ।

(9) ऐसे अन्य मामले या न्यायिक कार्य जिनका विशिष्ट उल्लेख, इस कार्य विभाजन आदेश में ना हो, अथवा कोई शंका की स्थिति उत्पन्न हो तो मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट अथवा मुख्यालय में कोई भी मजिस्ट्रेट अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यरत न हो वहॉ परिशिष्ट"बी" के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।

(10) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।

(11) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग को एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे।

(12) यह दाण्डिक कार्य विभाजन माननीय जिला न्यायाधीश, दुर्ग व्दारा अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

6/10/16

(आनंद प्रकाश दीक्षित)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ0ग0)

अनुमोदित

6.10.2016

District and Sessions Judge
Durg (Chhattisgarh)